उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या : ए–6/ई–1/2026
दिनांक : 20/11/2026

उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा-2026

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथिः 20.11.2026

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथिः 21.12.2026

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अंतिम तिथिः 28.12.2026

महत्वपूर्ण

(1) (a) ऑनलाइन आवदेन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R Registration) कर O.T.R नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।

(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घण्टे पूर्व आयोग की वेबसाइट https://otr.pariksha.nic.in से ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।

(c) ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवदेन करते समय सभी चरणों (यथा–O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

(3) अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।

(4) अभ्यर्थियों को अपने ऑन–लाइन आवेदन की हार्ड–कॉपी के साथ ऑन–लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथासमय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :– (क) आवेदन **'Submit'** करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अद्यतन सूचनाओं/निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। **O.T.R.** के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और **e-mail ID** पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा **e-mail** के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की **Website https://uppsc.up.nic.in** पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में **'O.T.R. BASED APPLICATION' system** लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन–लाइन आवेदन ही करें।

ऑन–लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तद्नुसार आवेदन करें:–

आयोग की वेबसाइट **https://uppsc.up.nic.in** पर **"ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS"** अभ्यर्थी द्वारा **Click** करने पर **'ON-LINE ADVERTISEMENTS'** स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:–

(i) User Instructions
(ii) View Advertisement
(iii) Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन–लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहते हैं, उसके सामने **"View Advertisement"** को **Click** करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित **Sample Snapshots** भी प्रदर्शित होंगे।

''ऑन–लाइन आवेदन'' करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :–

प्रथम चरण – 'APPLY' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष **'Authenticate with O.T.R.'** प्रदर्शित होगा तथा **'Authenticate with O.T.R.'** पर Click करने के उपरान्त **'Have You Completed your O.T.R. Registration'** प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि:–

(i) **'Yes'** पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् **'Click here to Authenticate'** प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके रजिस्टर्ड मोबाइल नं0/ई–मेल पर अभ्यर्थी प्राप्त O.T.R. अथवा O.T.R. पासवर्ड के माध्यम से **Authenticate** कर सकते हैं। **Authentication** की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) **'No'** पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो:– (a). सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल **(https://otr.pariksha.nic.in)** से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। (b). ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण– प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें यदि विहित हों, भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हता यदि विहित हो, के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण– द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का 'Home page' प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:–

(I) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES.

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट **'प्रिन्टर आइकन'** पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate कर Login करने के उपरान्त 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोटः– ऑन–लाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण–तृतीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

(1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(2) किसी भी स्तर पर यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रश्नगत परीक्षा व आगामी समस्त परीक्षाओं/चयनों से उसे प्रतिवारित (डिबार) करने की कार्यवाही की जाएगी एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ की जा सकती है।

(3) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत् परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।

(4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(6) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध मे सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

(9) (क) प्रारम्भिक परीक्षा के पश्चात् अथवा जब माँग की जाय अभ्यर्थियों को अपने ऑन–लाइन आवेदन की हार्ड–कॉपी के साथ ऑन–लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियां एवं विज्ञापन में अपेक्षित और कोई सूचना/अभिलेख आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में प्रेषित करना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) ''अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा० आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।''

2- आवेदन शुल्क : ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :–

(I)	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग –	परीक्षा शुल्क रू 100/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग = रु0 125/–
(ii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति –	परीक्षा शुल्क रु0 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग = रु0 65/–
(iii)	दिव्यांगजन –	परीक्षा शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग = रु0 25/–
(iv)	भूतपूर्व सैनिक –	परीक्षा शुल्क रु0 40/– + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग = रु0 65/–
(v)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी –	अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

Target for IQ
TARGET FOR IQ
Judiciary | PCS-J | APO | HJS Preparation
CALL / WHATSAPP: 7500110314
DOWNLOAD APP: play.google.com/store/apps/details?id=co.alexis.qbfky
SCAN APP

3. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) (मुख्य) परीक्षा–2026 में प्रवेश के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु उ0प्र0 के विभिन्न जिलों के परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा की तिथि और केंद्र की सूचना उम्मीदवारों को उनके ई.प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। चयन मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा।

नोटः– शासन के पत्र संख्या–423/47–का–2–2026, दिनांक 20.09.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि **उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्यतवृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 के अंतर्गत देय आयु सीमा में छूट और अधिमान संबंधी प्रावधान 'उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)' के पदों पर होने वाली सीधी भर्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होंगे।**

4. रिक्तियाँ : वर्तमान में रिक्तियों की संख्या 365 है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है। पद–समूह ''ख'', राजपत्रित, अस्थाई परन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत् हैः–

	Total Number of Posts:-	365
1.	Scheduled Caste (21%)	76
2.	Scheduled Tribes (02%)	07
3.	Other Backward Classes (27%)	98
4.	Economically Weaker Section (10%)	36
5.	Dependents of Freedom Fighters (02%) (Horizontal in a compartmentalized manner)	04
6.	Ex-Servicemen (05%) (Horizontal in a compartmentalized manner)	15
7.	Persons with Disabilities (04%) (Horizontal in a compartmentalized manner)	12
8.	Women (20%) (Horizontal in a compartmentalized manner)	71
9.	Unreserved	148

Note:- The vacancies in fraction are not rounded off to the next higher value by application of rules of Mathematics in pursuance of G.O. No. 09/042/15-Ka-2/2015, dated 28th August, 2015 of the Government of U.P.

Horizontal reservation extended to Women candidates, Ex-Servicemen, Persons with Disabilities and Dependent of Freedom Fighter shall be in a compartmentalized manner and distribution of vacancies are as under:-

20% Horizontal Reservation for Women in a compartmentalised manner

Sl.No.	Category	Final vacancy
1.	Women – Unreserved	29
2.	Women - Scheduled Caste	15
3.	Women - Scheduled Tribes	01
4.	Women - Other Backward Classes	19
5.	Women - Economically Weaker Section	07
	Total	**71**

05% Horizontal Reservation for Ex-Servicemen in Compartmentalised manner

Sl.No.	Category	Final vacancy
1.	Ex-Servicemen- Unreserved	07
2.	Ex-Servicemen- Scheduled Caste	03
3.	Ex-Servicemen- Scheduled Tribes	00
4.	Ex-Servicemen- Other Backward Classes	04
5.	Ex-Servicemen- Economically Weaker Section	01
	Total	**15**

04% Horizontal Reservation for Persons with Benchmark Disabilities in a compartmentalised manner

Sl.No.	Category	Final vacancy
1.	Persons with Disabilities - Unreserved	05
2.	Persons with Disabilities - Scheduled Caste	03
3.	Persons with Disabilities - Scheduled Tribes	00
4.	Persons with Disabilities - Other Backward Classes	03
5.	Persons with Disabilities - Economically Weaker Section	01
	Total	**12**

Rotational 12 vacancies disability-wise for each category

I.	Unreserved	03- Locomotor Disability 01 -Visual Impairment and 01 -Hearing Impairment
ii	Scheduled Caste	01 -Locomotor Disability 01 -Visual Impairment and 01 -Hearing Impairment
iii	Scheduled Tribes	NIL
Iv	Other Backward Classes	01 -Locomotor Disability 01 -Visual Impairment and 01 -Hearing Impairment
v	Economically Weaker Section	01 -Locomotor Disability

02% Horizontal Reservation for Dependents of Freedom Fighters in a compartmentalised manner

Sl.No.	Category	Final Vacancy
1.	DFF - Unreserved	02
2.	DFF - Scheduled Caste	01
3.	DFF - Scheduled Tribes	00
4.	DFF - Other Backward Classes	01
5.	DFF - Economically Weaker Section	00
	Total	**04**

5. आरक्षणः उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा–उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थी/उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोटः– (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 5/2022/18/1/2008/47/का–2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिंदु–5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है– दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

(2) शासनादेश संख्या 39 रिट/का–2/2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या 18/1/99/का–2/2006 दिनांक 9 जनवरी, 2007 के प्रस्तर 4 में दिये गये प्राविधान, 'यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है', को रिट याचिका संख्या 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर 04 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरूद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या 475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

(3) ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण–पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय –ज्ञाप सं. –1/2019/4/1/2002 /का–2/19 टी.सी.– ।।, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप समस्त स्रोतों से प्राप्त आय आरक्षण हेतु आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।

(4) कुशल खिलाड़ियों हेतु नियुक्ति अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–52/दो–4/75–नियुक्ति–4, दिनांक 11 फरवरी, 1975 एवं शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2, दिनांक 28 नवम्बर, 1985 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(6) उ0प्र0 के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

(7) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

(8) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

(9) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

(10) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु):–

आपात कमीशन प्राप्त/ अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या–22/10/1976–कार्मिक–2–85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैंः–

(अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ब) ऐसे आवेदकों को यथासमय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, **यदि**

(क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो।

(ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं

(ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो।

7. वैवाहिक प्रास्थिति :– ऐसे विवाहित पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

8. वेतनमान :– लेवल –10 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 77840–136520/–)

9. शैक्षिक अर्हता :– Academic and Professional Qualifications during the Tansitional Phase:-In light of the directions contained in paragraph 73 of the judgment dated 21.08.2026 passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ petition (Civil) No. 1110 of 2025, Bhumika Trust vs. Union of India and Others, the academic and professional qualifications for the post of Civil Judge (Junior Division) during the transitional phase shall be as follows:

(A) The candidate must be a national of India, in accordance with Rule 9 of the Uttar Pradesh Judicial Service Rules, 2001, and must possess a Bachelor of Laws degree from a University established by law in Uttar Pradesh or from any other University in India recognised for this purpose by the Governor.

(B) The candidate must be an advocate enrolled under the provisions of the Advocates Act, 1961, and entitled to practice in the court or courts subordinate to the High Court.

(C) The candidate must have completed at least one year of legal practice as on the date of publication of the advertisement, or possess such other experience as may be prescribed by law from time to time.

For the purposes of this clause:(i) The period of legal practice shall be reckoned from the date of provisional enrollment/registration with the concerned State Bar Council.

(ii) Every candidate shall be required to produce a certificate of practice* in his or her favour, certifying that he or she has been in regular practice at the Bar by such authority and manner as may be notified from time to time;

***Note:** In view of the transitional arrangement contemplated in the judgment dated 21.08.2026 passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 1110 of 2025, Bhumika Trust vs. Union of India and Others, a Certificate of Practice shall not be required to be furnished by a candidate in respect of the period commencing from the date of passing the LL.B. examination and ending on 21.08.2026 and the candidate shall be deemed to have been in active practice, during that period.

(D) The candidate must possess a thorough knowledge of Hindi in Devanagari script.

The entire selection process shall strictly conform to the directions contained in paragraph 73 of the judgment dated 21.08.2026 passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 1110 of 2025, Bhumika Trust vs. Union of India and Others, as well as all other applicable directions issued by the Hon'ble Supreme Court.

नोटः– आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है।

पद की संगत सेवा नियमावलियां

उ0प्र0 न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 (यथा संशोधित)

10. आयु सीमाः– सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी को आगामी वर्ष की पहली जुलाई अर्थात् 01 जुलाई, 2027 को 35 वर्ष से अधिक तथा 22 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1992 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट उनके द्वारा सेना में की गई कुल सेवा अवधि 3 वर्ष के बराबर अनुमन्य होगी। उ0प्र0 के कुशल खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। दिव्यांगजन के लिए शासनादेश दिनाक 03.02.2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष शिथिलनीय होगी अर्थात उनका जन्म 02.07.1977 से पूर्व

Target for IQ
TARGET FOR IQ
Judiciary | PCS-J | APO | HJS Preparation
CALL / WHATSAPP: 7500110314
DOWNLOAD APP: play.google.com/store/apps/details?id=co.alexis.qbfky
SCAN APP

नहीं होना चाहिए।
उ.प्र. न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2003 दिनांक 19 मार्च, 2003 के नियम–10 के प्राविधानानुसार (1) जो अभ्यर्थी परीक्षा वर्ष 2023, 2024, एवं 2025 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु में पात्र थे उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र समझा जायेगा, अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1989 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। (2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसरों की संख्या अधिकतम चार है।
उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 एवं अधियाचनानुसार सरकारी कर्मचारी प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं किन्तु उन्हें कोई छूट अनुमन्य नहीं है। ''मा० न्यायालय ने उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उ0प्र0 आयु सीमा नियमावली (दसवां संशोधन) 2012 के अन्तर्गत उच्च आयु सीमा 35 से 40 वर्ष अंगीकार नहीं किया है।''

11. उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) (मुख्य) परीक्षा तथा साक्षात्कार के सम्बन्ध में कतिपय सूचनायें:–

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किए जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ. प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 200/– एवं ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग रु0 225/– तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रु0 80/– एवं ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग रु0 105/– निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रु0 80/– एवं ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग रु0 105/– निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला, कुशल खिलाड़ियों के अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से सम्बन्धित होंगे, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा।
(2) उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) (मुख्य) परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन एवं निर्धारित शुल्क सबमिट/जमा करना होगा।
(3) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है।
(4) मुख्य परीक्षा हेतु तिथि तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।
(5) केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किये जायेंगे जो मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आधार पर सफल घोषित होंगे।
(6) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित आवेदन पत्रादि भरना होगा।
(7) मूल प्रमाण पत्रों की जांच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहां उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा।
(8) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत् अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(9) साक्षात्कार के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
नोटः– उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) (मुख्य) परीक्षा –2026 के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

12. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेशः–

(1) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को (मुख्य परीक्षा के) आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
(2) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
(3) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा–3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।
(4) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।
(5) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।
(6) कदाशय अर्थात् परीक्षा में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 दिनांक 6 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत् परीक्षा में लागू रहेंगे।
(7) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, O.T.R. No./Application ID, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।
(8) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
(9) मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रारम्भिक परीक्षा में 1:10 के अनुपात में अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे और साक्षात्कार हेतु 1:3 के अनुपात में सफल घोषित किये जायेंगे।
(10) याचिका सं0 (सी0) 165/2005 संजय सिंह बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय/आदेश का अनुपालन किया जाएगा।
(11) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।
(12) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल ब्लैक बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।
(13) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना संबंधित गोलों को काला करके सही–सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सके। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गई सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ह्वाइटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
(14) वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में मा0 आयोग के निर्णय के क्रम में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति–गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित प्रति–हरी तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति–नीली होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् OMR Answer Sheet की मूल प्रति तथा संरक्षित प्रति अंतरीक्षक जमा कर लेंगे एवं तीसरी प्रति (अभ्यर्थी प्रति–नीली) अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे।
(15) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगीः– 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जाएगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।
(16) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक (qualifying marks) 35% होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 1:10 के अनुपात में तथा साक्षात्कार के लिए 1:3 के अनुपात में बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की संख्या के अनुसार सफल घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।
(17) चयन से सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाओं में कार्यवाही तत्समय प्रवृत्त अधिनियमों/संगत विधियों/प्रभावी शासनादेशों/मा0 आयोग के निर्णयों के अनुसार की जायेगी।
(18) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।
(19) जिन अभ्यथियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

1– अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जाएंगे।
2– सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें, किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3– आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट–1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा कुशल खिलाड़ियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।
4– आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।
5– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र शासनादेश संख्या– 453/79–वी–1–15–1(का) 14–2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
6– यदि अभ्यर्थी को ऑन–लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
7– आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों का प्रारूप **परिशिष्ट–1** पर उपलब्ध है। उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा की परीक्षा योजना **परिशिष्ट–2** पर, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:
At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application will be dropped and the procedure will be terminated. Acceptance of **'I Agree'** only will make possible the submission of the candidate's Online Application.
Notification Details
This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name.
Personnel Details from OTR
This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband's name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, Freedom Fighter of U.P., Ex-servicemen of U.P., service duration, P.H., Skilled Player and Outstanding sports person of U.P., Debarred candidate.
Education & Experience Details
It shows your educational and experience details
Declaration segment
At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.
After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.
Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.
[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]
For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website **https://uppsc.up.nic.in**
IMPORTANT ANNOUNCEMENT
:- NOTIFICATIONS /ADVERTISEMENTS
• All Notification/Advertisements
:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION
• Candidate Registration
• Fee Deposition /Reconciliation
• Submit Application Form
• Modify Submitted Application
• Candidate Dashboard (OTR Based)
:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION
• Double Verification mode
• View Application Status
• Download Admit Card
• Print Duplicate Registration Slip
• Print Detailed Application Form
• List of Applications Having ANY Objections
• View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

Target for IQ
TARGET FOR IQ
Judiciary | PCS-J | APO | HJS Preparation
CALL / WHATSAPP: 7500110314
DOWNLOAD APP: play.google.com/store/apps/details?id=co.alexis.qbfky
SCAN APP

परिशिष्ट – 1

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .....ग्राम..... तहसील .....नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ..... हस्ताक्षर.....

दिनांक ..... पूरा नाम.....

मुहर ..... पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/ सुपुत्री श्री.... ..... निवासी ग्राम..... तहसील . ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की .... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... पूरा नाम .....

मुहर ..... पद कानाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र–I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक .....

वित्तीय वर्ष .....के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... तहसील ..... जिला .. .. राज्य ..... पिन कोड ..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:–

I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीटअथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

हस्ताक्षर .....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम .....

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

(प्रपत्र–।।)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... ब्लाक ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:–

1. मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू ..... (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) ..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः– जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :– **आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।**

दिनांकः–

उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रामाण–पत्र (दिव्यांगजन प्रारूप)

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. **Date:**

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum..... ..... son/wife/daughter of Shri.....Date of Birth (DD/MM/YY).....Age .....years, male/female..... registration No. ..... permanent resident of House No. ..... Ward/Village/Street .....Post office..... District.....State..... whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is.....

(A) he/she has .....% (in figure)..... percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her..... (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr.....)	(Dr.....)	(Dr.....)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
with seal	with seal	with seal
		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Form-III

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Cerficate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum ..... son/wife/ daughter of Shri ..... Date of birth (DD/MM/YY).....age..... years,

Target for IQ
TARGET FOR IQ
Judiciary | PCS-J | APO | HJS Preparation
CALL / WHATSAPP: 7500110314
DOWNLOAD APP: play.google.com/store/apps/details?id=co.alexis.qbfky
SCAN APP

male/ female.....Registration No.....
permanent resident of House No.....
Ward/Village/Street..... Post Office.....
District..... State.....
whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of

Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/ disability has been evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/ mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy Cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidlines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows:
In figures.....percent.
In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/ after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till ....
(DD) (MM) (YY)

@ -e.g. Left/right/both arms/legs
# - e.g. Single eye
£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV
Certificate of Disability
(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Cerficate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined

Shri/Smt./Kum..... son/wife/daughter of Shri ..... Date of birth (DD/MM/YY)

.....age ..... years, male/ female.....Registration No..... permanent resident of House No.....Ward/Village/ Street.....Post Office.....
District.....State.....
whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of Disability.
His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below

S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/ mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy Cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)
2. The above condition is progressive/non-progressive/liklye to improve/not likely to improve.
3. Reassessment of disability is :-
(i) not necessary.
or
(ii) is recommended/after .....years ..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) .....

@ e.g. Left/right/both arms/legs
# e.g. Single eye/both eyes
£ e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ..... निवासी ..... ग्राम..... तहसील.....नगर..... जिला ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .....के आश्रित हैं।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पदनाम .....
मुहर .....
जिलाधिकारी.....
सील.....

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं
शासनादेश संख्या–22 / 21 / 1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985
प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4
प्रारूप –1
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने देश की ओर से अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम..... राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ..... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री ..... निवासी ..... पूरा पता ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित..... (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

Target for IQ
TARGET FOR IQ
Judiciary | PCS-J | APO | HJS Preparation
CALL / WHATSAPP: 7500110314
DOWNLOAD APP: play.google.com/store/apps/details?id=co.alexis.qbfky
SCAN APP

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।
यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) ..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .....
दिनांक .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
पद .....
संस्था का नाम .....
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम .....राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/ पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) .....ने दिनांक.....से दिनांक.....तक.....में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम).....आयोजित राष्ट्रीय..... में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .....
दिनांक .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
पद .....
संस्था का नाम .....
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) ..... विश्वविद्यालय की कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय ..... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद .....विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .....
दिनांक .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
पद .....
संस्था का नाम .....
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए **प्रमाण–पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... में ..... स्कूल में कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक .....(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ..... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .....
दिनांक .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
पद .....
संस्था का नाम .....
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा ..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

परिशिष्ट–2

परीक्षा की योजना

प्रतियागिता परीक्षा में क्रमशः तीन चरण होंगे यथाः (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार की) (2) मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकार की अर्थात् लिखित परीक्षा) एवं (3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा) ।

परिशिष्ट–3

उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)

प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र–प्रथम **समयः 2 घंटे** **अंक–150**

सामान्य ज्ञान

इस प्रश्न–पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के मुख्य बातों के विशेष सन्दर्भों में दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और महिलाओं एवं बालकों / बालिकाओं से सम्बन्धित अपराधों सहित सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अन्तरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न–पत्र सम्मिलित हैं। इन प्रश्न–पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र–द्वितीय **समयः 2 घंटे** **अंक–300**

विधि

इस प्रश्न पत्र में भारत में तथा विश्व में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र में हो रही प्रतिदिन की घटनाएं, अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

(i) विधि शास्त्र
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
(iii) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रकरण
(iv) भारतीय संविधान
(v) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम
(vi) भारतीय साक्ष्य अधिनियम–1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023
(vii) भारतीय दंड संहिता–1860, भारतीय न्याय संहिता, 2023
(viii) सिविल प्रक्रिया संहिता
(ix) आपराधिक प्रकिया संहिता–1973, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023
(x) संविदा विधि

उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)

मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र संख्या–1 सामान्य ज्ञान **समय : 3 घंटे** **अंक–200**

"सामान्य ज्ञान" का एक प्रश्न–पत्र होगा ।

इस प्रश्न–पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के मुख्य बातों के विशेष सन्दर्भों में दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और महिलाओं एवं बालकों/बालिकाओं से सम्बन्धित अपराधों सहित सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अन्तरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न–पत्र सम्मिलित हैं।
इन प्रश्न–पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र संख्या–2 अंग्रेजी भाषा :– **समय : 3 घंटे** **अंक–100**

यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार से 03 (तीन) प्रश्न समाविष्ट होंगे।

(1) निबन्ध –50 अंक
(2) सारांश लेखन –30 अंक
(3) हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद –20 अंक

प्रश्न पत्र संख्या–3 हिन्दी भाषा :– **समय : 3 घंटे** **अंक–100**

यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार से 03 (तीन) प्रश्न समाविष्ट होंगे।

(1) निबन्ध –50 अंक
(2) सारांश लेखन –30 अंक
(3) अंग्रेजी गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद –20 अंक

प्रश्न पत्र संख्या–4 विधि–1 (मौलिक विधि) :– **समय : 3 घंटे** **अंक–200**

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगेः–
संविदा विधि, साझेदारी विधि, सुविधा अधिकार और अपकृत्यों सम्बन्धी विधि, सम्पत्ति के अंतरण से संबंधित विधि जिसमें विशेषकर उस पर लागू साम्या के सिद्धान्त सम्मिलित होंगे। न्याय एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष का विधि के विशेष संदर्भ में साम्या के सिद्धान्त, हिन्दू विधि, मुस्लिम विधि और संवैधानिक विधि ।
50 अंकों के प्रश्न केवल संवैधानिक विधि के सम्बन्ध में होंगे।

प्रश्न पत्र संख्या–5 विधि–2 (प्रक्रिया एवं साक्ष्य) :– **समय : 3 घंटे** **अंक–200**

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगेः–
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, दण्ड प्रक्रिया संहिता –1973, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 और अभिवचन के सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता। दिये गये प्रश्न मुख्यतया व्यावहारिक मामलों से सम्बन्धित होंगे, जैसे कि सामान्यतः आरोपों और वाद–बिन्दुओं की विरचना, गवाहों के साक्ष्यों के साथ व्यवहार की विधियां, निर्णयों का लेखन और वादों का संचालन, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

प्रश्न पत्र संख्या–6 विधि–3 (दण्ड, राजस्व और स्थानीय विधियाँ) :– **समय : 3 घंटे** **अंक–200**

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। प्रश्न समुच्चय निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक सीमित होंगेः–
भारतीय दंड संहिता–1860, भारतीय न्याय संहिता, 2023, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगरीय (नियोजन और विकास) अधिनियम, 1973 और साथ ही साथ पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन बनायी गयी नियमावलियाँ। स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दण्ड विधियों से सम्बन्धित प्रश्न 50 अंकों के होंगे, जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों से सम्बन्धित प्रश्न 150 अंकों के होंगे।

साक्षात्कारः–

साक्षात्कार 100 अंकों का होगा

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण, उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक सौष्ठव पर सम्यक ध्यान देते हुए उसकी श्रेष्ठता के संदर्भ में किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–अभ्यर्थी के लिए सामान्य ज्ञान और विधि प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा।

टिप्पणी (1) साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों को लिखित प्रश्न पत्रों में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ा जायेगा और अभ्यर्थी का स्थान दोनों के कुल योग पर निर्भर करेगा।

(2) किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने से इन्कार करने का अधिकार आयोग को है जिसने विधि प्रश्न पत्रों में इतने अंक प्राप्त न किये हों, जो उसके द्वारा ऐसे इंकार को न्यायोचित ठहरायें।

सचिव

Target for IQ
TARGET FOR IQ
Judiciary | PCS-J | APO | HJS Preparation
CALL / WHATSAPP: 7500110314
DOWNLOAD APP: play.google.com/store/apps/details?id=co.alexis.qbfky
SCAN APP